प्रेषक,

धर्मेन्द्र कुमार पाठक,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-10 लखनऊ : दिनांक 28 फरवरी, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-54 लेखाशीर्षक-2059 लोक निर्माण कार्य-80-सामान्य-001-निदेशन तथा प्रशासन के अंतर्गत बचत की मद से आवश्यकता की मद में पुनर्विनियोग के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-I/462037/2026 दिनांक 11.02.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-54 लेखाशीर्षक-2059 लोक निर्माण कार्य 80-सामान्य 001-निदेशन तथा प्रशासन-04-कार्यकारी के अंतर्गत 01-वेतन की मद से रू0 2600.00 लाख के पुनर्विनियोजन का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उपरिसंदर्भित पत्र दिनांक 11.02.2026 द्वारा उपलब्ध कराये गये रू0 2600.00 लाख के पुनर्विनियोग के प्रस्ताव के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-54 लेखाशीर्षक-2059-लोक निर्माण कार्य-80-सामान्य-1-निदेशन और प्रशासन-04-कार्यकारी-00-01-वेतन के अन्तर्गत बचत की मद से आवश्यकता की मदों में कुल रू0 850.00 लाख के पुनर्विनियोजन के प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहमति प्रदान की जाती है:-

(1) जिस मद से पुनर्विनियोग कर रहे है, उस मद में चालू वित्तीय वर्ष में किसी प्रकार की धनराशि की मांग नहीं करेंगे तथा स्वीकृत कार्य पर ही धनराशि व्यय करेंगे।

(2) जिस मद में पुनर्विनियोग प्रस्तावित है उस मद की सम्पूर्ण धनराशि का नियमानुसार सदुपयोग इस वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

(3) प्रस्तावित पुनर्विनियोग केवल बजट आवंटन के उद्देश्य से धनराशि की उपलब्धता हेतु किया जा रहा है। इस का व्यय समस्त सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए करेंगे।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2059800010300 (निदेशन)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	054	2059800010300 निदेशन	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	75,00,000 (रुपये पचहत्तर लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2	054	2059800010300 निदेशन	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र)
3	054	2059800010300 निदेशन	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र)
	कुल			**1,75,00,000 (रुपये एक करोड़ पचहत्तर लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2059800010400 (कार्यकारी)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	054	2059800010400 कार्यकारी	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	1,25,00,000 (रुपये एक करोड़ पच्चीस लाख मात्र)
2	054	2059800010400 कार्यकारी	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र)
3	054	2059800010400 कार्यकारी	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र)
4	054	2059800010400 कार्यकारी	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र)
5	054	2059800010400 कार्यकारी	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	3,00,00,000 (रुपये तीन करोड़ मात्र)
	कुल			**6,75,00,000 (रुपये छह करोड़ पचहत्तर लाख मात्र)**

महायोग	8,50,00,000 (रुपये आठ करोड़ पचास लाख मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक-27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अभय प्रताप श्रीवास्तव)
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-10/2026/278(1)/001-278-23-10-2026-E-2006209

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम एवं द्वितीय उत्तर प्रदेश प्रयागराज।

2- वित्त नियन्त्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

3- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

4- संबंधित कोषाधिकारी, उ0प्र0।

5- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8।

7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में)/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अभय प्रताप श्रीवास्तव)
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।